# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2558/2015**

जगदीश प्रसाद **–अपीलार्थी**

**बनाम**

उप निदेशक, माध्यमिक, जयपुर डिवीजन, जयपुर एवं अन्य।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 11.08.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री इमरान खान, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :** श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 27.04.2013 को वरिष्ठ अध्यापक, हिन्दी के पद पर की गई थी तथा अपीलार्थी का पदस्थापन रा.उ.प्रा.वि. ग्राम जानीपुरा, चाकसू किया गया था। अपीलार्थी ने पदोन्नति के उपरांत पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए समय अवधि बढाने के लिए निवेदन किया था एवं पदस्थापित स्थान को बदलने के लिए निवेदन किया था। परंतु अपीलार्थी की प्रार्थना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2013 को बीमार हो गया और वह पदस्थापन स्थान पर दिनांक 30.04.2013 तक कार्यग्रहण नहीं कर सका। अपीलार्थी स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात पुनः पत्र प्रस्तुत कर पदस्थापित स्थान बदलने के लिए प्रत्यर्थी विभाग से निवेदन किया। इसके पश्चात पुनः दिनांक 16.03.2014 के पत्र द्वारा भी कार्यग्रहण की तिथि बढ़ाने के लिए निवेदन किया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण करने के समय को बढ़ाने के लिए निर्देश प्रदान किये जाये।
2. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
3. अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 10.4.2013 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पदोन्नति स्थान पर 30.04.2013 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना था। यह भी निर्धारित किया गया था कि निर्धारित समय पर पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति का स्वतः परित्याग मान लिया जायेगा। अपीलार्थी की ओर से जो पत्र दिनांक 29.04.2013 (अनुलग्नक–3) को उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को लिखा गया है, उससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने यह अंकित किया है कि वह दिनांक 30.04.2013

तक पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा स्वयं ही पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने में असमर्थता जताई है। अतः कार्यालय आदेश 10.04.2013 के अनुसार अपीलार्थी की पदोन्नति का स्वतः परित्याग माना जाना त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**